

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा भूमि के फर्जी बैनामे एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी राज प्रसाद शुक्ल पुत्र रामतेज शुक्ल निवासी निराला नगर, कटहाघाट मोड़, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गई कि विपक्षीगण कल्पनाथ पाण्डेय एवं किंग उपाध्याय द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी एवं कूटरचना करते हुए ग्राम रोहावा स्थित भूमि के बैनामे में फर्जीवाड़ा किया गया। वादी के अनुसार कल्पनाथ पाण्डेय द्वारा स्वयं को जगन्नाथ के रूप में प्रस्तुत कर जगन्नाथ के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में कूटरचना/एडिटिंग कर वादी के पक्ष में दिनांक 22.01.2026 को भूमि का बैनामा कराया गया। उक्त बैनामा के प्रतिफल की धनराशि विभिन्न बियरर चेकों के माध्यम से प्राप्त किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। दिनांक 24.09.2026 को प्रभारी निरीक्षक बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त कल्पनाथ पाण्डेय गोडवाघाट से झंझरी ब्लॉक की तरफ जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गोडवाघाट पहुंचकर अभियुक्त को घेरकर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. कल्पनाथ पाण्डेय पुत्र महादेव, निवासी ग्राम मछलीगांव रोहावा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 746/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्र0नि0 बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी थाना कोतवाली नगर
2. उ0नि0 प्रशान्त गुप्ता
3. का0 बिपिन यादव
4. का0 मनीष द्विवेदी
5. आरक्षी अमित तोमर

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 24.09.2026

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विवाहिता महिला एवं उसके बच्चे को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

घटना का संक्षिप्त विवरण

थाना इटियाथोक, क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना इटियाथोक पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पुत्री की शादी वर्ष 2022 में विवेक शुक्ला निवासी ग्राम छेदकपुरवा, मुण्डाडीहा बनगाई, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा के साथ हुई थी। पारिवारिक विवाद एवं दहेज की मांग को लेकर दोनों पक्षों के मध्य न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। वादी के अनुसार दिनांक 05.03.2026 को समय करीब 01:00 बजे उसकी पुत्री तथा उसका करीब 03 वर्षीय बच्चा घर से निकले, जिन्हें विवेक शुक्ला एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

आज दिनांक 24.09.2026 को थानाध्यक्ष गौरव सिंह तोमर मय हमराह पुलिस बल द्वारा क्षेत्र में भ्रमण/वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कमलेश तिवारी गोण्डा-बहराइच रोड पर खिरौरा रेलवे क्रॉसिंग के पास मौजूद है तथा किसी बस के इंतजार में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम कमलेश तिवारी पुत्र सूर्यमणि तिवारी, निवासी ग्राम चिलबिला खत्तीपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा बताया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. कमलेश तिवारी पुत्र सूर्यमणि तिवारी निवासी ग्राम चिलबिला खत्तीपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 0069/2026 धारा 140(3)/64(2)एम बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. थानाध्यक्ष गौरव सिंह तोमर।
02. का0 आकाश जायसवाल
03. का0 अरुण कुमार, थाना
04. का0 चालक उमेन्द्र यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादीनी द्वारा थाना नवाबगंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्त मोहम्मद कैफ पुत्र सफात अली, निवासी होलापुर काजी, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा विगत 2—3 वर्षों से शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया गया तथा शादी करने की बात कहकर लगातार टालता रहा। वादीनी द्वारा मुकदमा दर्ज कराने की बात कहने पर अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.09.2026 को निकाह तथा दिनांक 21.09.2026 को कोर्ट मैरिज की गयी। इसके बाद अभियुक्त द्वारा वादीनी को साथ रखने से इनकार करते हुए धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0—329/2026 धारा 69, 318(4), 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी—सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त कैफ मुम्बई जाने की फिराक में बैग लेकर अयोध्या रोड की तरफ जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अयोध्या रोड स्थित नगवा मोड़ पर पहुंचकर घेराबंदी की गयी। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर समय करीब 09:10 बजे पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम मोहम्मद कैफ पुत्र सफात अली उपरोक्त बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मोहम्मद कैफ पुत्र सफात अली निवासी होलापुर काजी, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—329/2026 धारा 69, 318(4), 351(3) बीएनएस थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 अहमद हुसैन।
2. हेका0 आनन्द सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।